**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 759**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की स्थिति**

759. **डा. प्रभा ठाकुर** %

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में महिलाओं के प्रति यौन अपराधों में वृध्दि हुई है तथा किन-किन राज्यों में पहले की अपेक्षा कमी हुई है ; और

(ख) : इस वृध्दि अथवा कमी के क्या कारण हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम एवं दिल्ली राज्यों में वर्ष 2009 से 2011 की अवधि के दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 509 एवं 376 के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति यौन अपराधों में सतत वृध्दि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तराखण्ड, गोवा, नागालैण्ड, दमन व दीव और लक्षद्वीप राज्यों में निरंतर कमी आई है ।

महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के कारणों में महिलाओं के असमान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर एवं स्थिति जैसे कई कारण शामिल हैं, जो पितृसत्ता एवं गहरी पैठ बना चुके सामाजिक सांस्कृतिक विचार, कानून के प्रवर्तन एवं उचित अन्वेषण की कमी, जो ऐसे अपराधों के अपराधकर्ताओं को दण्ड अभाव को बढावा देती है, आदि का परिणाम होते हैं । महिलाओं के प्रति यौन अपराधों में वृध्दि अथवा कमी के कोई स्पष्ट कारण नहीं बताए जा सकते हैं । कानून के बारे में अधिक जागरूकता, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण एवं कारगर कानून प्रवर्तन तंत्र से ऐसे अपराधों की और अधिक रिपोर्टें होंगी अथवा ऐसे अपराधों में कमी आएगी ।

**\*\*\*\*\***